प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.06.2024

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.06.2024 को सायंकालीन गश्त व चेकिंग के दौरान पुस्ता रोड यमुनाकट सिटी चौकी पचायरा क्षेत्र से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त 1. दानिस पुत्र शाहिद निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 2.अनस पुत्र हारून निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर रंग काला बरामद की गई। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत में अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने जनपद बागपत के थाना क्षेत्र सिंघावली अहीर से पिछली साल चोरी की थी और छिपा दी थी। हम दोनों इसको बेचने के लिये ग्राहक की तलाश में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1. दानिस पुत्र शाहिद निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष
2. अनस पुत्र हारून निवासी ग्राम बदरपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1. उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत में 01 अभियोग पंजीकृत है।
2. चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर रजि नं0 UP17 U 2868 रंग काला बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक 06.06.2024 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी मतलूब उर्फ टब्बन पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को थाना निवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 21.05.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

मतलूब उर्फ टब्बन पुत्र रिफाकत निवासी ग्राम सुहाना थाना निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर गौवध अधिनियम व मारपीट के 03 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना निवाड़ी पुलिस टीम

थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर फ्लैट की रजिस्ट्री करा लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07-07-2023 को वादी राजबाहादुर पुत्र सुमन्त सिंह ने थाना नंदग्राम पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर उनके फ्लैट की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली है घटना का संज्ञान लेते हुए वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया सभी टीमों द्वारा सर्विलांस व लोकल इनपुट के माध्यम से दिनांक 05-06-2024 अभियुक्त को शहादरा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

अभियुक्त का नाम व पता---

सन्दीप पुत्र जयकिशन निवासी बी 225/9ए गली नं0- 18 अशोक नगर, शाहदरा दिल्ली उम्र करीब 43 वर्ष।

पूछताछ का विवरण----

गिरफ्तार अभि0 से पूछताछ करने पर बताया कि मेरे वर्ष 2021 के परिचित सह अभि0 पुष्पेन्द्र जैन पुत्र जयचन्द जैन निवासी सदर बाजार मेरठ कैण्ट व यशोदा उर्फ सारिका निवासी मेरठ के साथ मिलकर प्लाट नं0-1107 टाइप बी 11 फ्लोर टावर 7 वीवीआईपी सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन जो राजबहादुर व उनकी पत्नी रजनी ठाकुर के नाम है, जिसपर मैंने साथी पुष्पेन्द्र जैन के सहयोग से अपने आधार कार्ड में राजबहादुर के नाम पते का व यशोदा उर्फ सारिका ने रजनी ठाकुर के नाम पते को एडिट करके फर्जी तरीके से प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ग़ाज़ियाबाद में खाता खुलवाकर हिन्दुजा फाईनेन्स कम्पनी से करीब 41 लाख रुपये का लोन कराकर लोन की रकम प्राप्त करके निकालकर सभी सह अभि0गण ने मिलकर बाँट ली थी।

गिरफ्तार करने वाली टीम---

थाना नंदग्राम पुलिस टीम